फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

कमलेश बनाम भूमिधारी

म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 LR Act मुकदमा नम्बर 245 सन् **2020**

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक **25.01.2021** को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **नीमकाथाना (सीकर)**	
25/1 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 5/3/21 को पेश हों।	
5/3/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 9/3/2021 को पेश हों।	
09.03.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद समयक तामील के अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी ने सहखातेदार नानूराम व ज्ञानचन्द का शपथ पत्र पेश किया। शामिल मिसल किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 16/03/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:58:08 IST
Reason: SelfAttested

15.03.21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थिया उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थिया का सही नाम कमलेश देवी पुत्री कालूराम है एवं प्रार्थिया के नाम राजस्व ग्राम महावा व चला की ढाणी तह. नीमकाथाना में खातेदारी भूमियां हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से प्रार्थिया के बचपन का नाम कमला पुत्री कालूराम दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं जनाधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत किया हैं जिनमें प्रार्थिया का नाम कमलेश देवी पुत्री कालूराम है, एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदारान नानूराम पुत्र कालूराम एवं ज्ञानचन्द पुत्र कालूराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदारान नानूराम पुत्र कालूराम एवं ज्ञानचन्द पुत्र कालूराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के भूमि खाता संख्या 31 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 राजस्व ग्राम महावा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम कमला पुत्री कालूराम एवं भूमि खाता संख्या 147 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मंढोली के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम कमला पुत्री कालू अंकित है। प्रार्थिया का कथन कि प्रार्थिया का सही नाम कमलेश देवी पुत्री कालूराम है की पुष्टि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं जनाधार कार्ड की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदारान नानूराम पुत्र कालूराम एवं ज्ञानचन्द पुत्र कालूराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
अधिकारी

Signature Not V

Digitally signed by
Date: 2021.03.29 1
Reason: SelfAttest

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम महावा तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 31 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम **कमला पुत्री** कालूराम एवं राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का